भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS: INDIA
कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मध्य प्रदेश परिमंडल, भोपाल – ४६२०१२
O/O CHIEF POSTMASTER GENERAL MP CIRCLE, BHOPAL – 462012
(Welfare Section)

Telephone No. 0755-2763400, 7587598110 E-mail: tgy.mp@indiapost.gov.in

द्वारा ई-मेल

प्रति,

1. महाप्रबंधक (वित्त), डाक लेखा कार्यालय भोपाल।
2. पोस्टमास्टर जनरल जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर ।
3. पोस्टमास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर ।
4. समस्त समूह अधिकारी, परिमंडल कार्यालय, भोपाल ।
5. समस्त प्रवर अधीक्षक/अधीक्षक डाकघर, मध्यप्रदेश डाक परिमंडल ।
6. समस्त अधीक्षक, रेल डाक सेवा, मध्यप्रदेश डाक परिमंडल ।
7. अधीक्षक, डाक वस्तु भंडार, भोपाल ।
8. प्रबंधक, मेल मोटर सर्विसेस भोपाल ।
9. कार्यपालन यंत्री डाक (सिविल/इलैक्ट्रिकल) डिविजन, टी.टी. नगर एचओ, भोपाल ।

क्रं.: कल्याण/6-67/स्पेशल सीएल/2026 भोपाल दिनांक 11.02.2026

विषय: मध्यप्रदेश परिमंडल अंतर्गत कार्यरत स्पोर्ट्स कोटा के तहत चयनित कर्मचारियों/अन्य कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता (बतौर खिलाड़ी/टेक्निकल ओफिशियल) हेतु अनुमति के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश परिमंडल अंतर्गत कार्यरत स्पोर्ट्स कोटा के तहत चयनित कर्मचारियों/अन्य कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता हेतु अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदाय की जाएगी :-

1. केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीडा बोर्ड द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं/डाक महानिदेशालय द्वारा जारी मान्यता प्राप्त खेलों की सूची में वर्णित खेलों की Recognized Sports Authorities/Federations द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रहीं खेल प्रतियोगिताओं/अंतर-मंत्रालयी (Inter-ministerial)/अंतर-विभागीय (Inter-departmental) प्रतियोगिताओं में प्रतिभगिता (बतौर खिलाड़ी/टेक्निकल ऑफिसियल) हेतु अनुमति के लिए खिलाड़ियों/कर्मचारियों के निवेदन, प्रतियोगिता आरंभ होने से कम से कम 21 दिवस पूर्व परिमंडल कार्यालय में प्राप्त होने पर ही विचार किए जाने योग्य होंगे ।

2. उपरोक्त निवेदन परिमंडल कार्यालय में कर्मचारी/खिलाड़ी के आवेदन, संबन्धित संभागीय प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख की आवश्यक अनुशंसा के साथ उचित माध्यम से एवं परिमंडल कार्यालय को कम से कम 21 दिन पूर्व प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

3. क्षेत्रीय/संभागीय कार्यालय को उपरोक्त निवेदन के साथ संबन्धित कर्मचारी/खिलाड़ी के विषय में निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी अपनी अनुशंसा एवं टिप्पणी सहित प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा :-

क्रं.	कर्मचारी/ खिलाड़ी का नाम	खेल का नाम जिस के अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटे में चयन हुआ है	विगत 03 वर्षों में संबन्धित खेल के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों का वर्णन (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित)	वर्तमान कैलंडर वर्ष में कर्मचारी के खाते में शेष, विशेष आकस्मिक अवकाशों की संख्या	अनुशंसा की जाती है अथवा नहीं

4. उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले निवेदनों को प्रत्येक माह में एक बार, सक्षम अधिकारी द्वारा गठित Screening Committee के समक्ष विचार हेतु रखा जाएगा एवं समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी । कमेटी का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय), भोपाल - चेयरमैन
(ii) सहायक निदेशक – I, जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर - मेम्बर-I
(iii) सहायक निदेशक – II, इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर - मेम्बर-II

उपरोक्त समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकरणों में विचार किया जाएगा–

(a) प्रतियोगिता एवं संबन्धित खेल संस्था मान्यता प्राप्त (Recognized) है अथवा नहीं । यदि नहीं तो प्रकरण को फाइल करने की अनुशंसा की जाएगी ।

(b) प्रकरण प्रतियोगिता आरंभ होने की तिथि से 21 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है अथवा नहीं । यदि नहीं तो प्रकरण को फाइल करने की अनुशंसा की जाएगी ।

(c) विगत 03 वर्षों में संबन्धित खेल में कर्मचारी/खिलाड़ी के प्रदर्शन की समीक्षा ।

(d) अन्य संबन्धित जानकारी यदि कोई हो तो ।

5. तदुपरान्त सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक कल्याण/6-67/स्पेशल सीएल/2026, दिनांक 07.01.2026 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को तदनुसार अवगत करावें ।

सहायक निदेशक (कल्याण/तकनीकी)
Asstt. Director (Welfare/Technical)
एवं सचिव, मध्यप्रदेश डाक खेलकूद बोर्ड
& Secretary, M.P. Postal Sports Board
म. प्र. परिमंडल, भोपाल – 462012
M.P. Circle, Bhopal – 462012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक निदेशक – I, जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर एवं Screening Committee सदस्य।
2. सहायक निदेशक – II, इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर एवं Screening Committee सदस्य। ।
3. निज सचिव (मु. पो. मा. ज.)/व्यैयक्तिक सहायक [नि.डा.से. (मुख्या.)] ।